संख्या : 77/2016/1073(2)/छप्पन-2016-46/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2016

विषय : अगुस्ता ए-109 एस हेलीकॉप्टर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर ग्रुप कै0 सुनील कौरा तथा विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा को दिनांक 17-11-2016 से 24-11-2016 तक एवं दिनांक 25-12-2016 से 31-12-2016 तक अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 41/ ना0उ0नि0उ0प्र0/आप्स-21/2016, दिनांक 01-08-2016 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या- 76/2016/1073/छप्पन-2016-46/2015, दिनांक 26-09-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अगुस्ता ए-109 एस हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग क्रमश: दिनांक 17-11-2016 से 24-11-2016 तक एवं दिनांक 25-12-2016 से 31-12-2016 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रति पायलट फीस 8670 यूरो अर्थात 17340 यूरो का भुगतान कम्पनी को अग्रिम रूप से किया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय उल्लिखित प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान प्रति यूरो रूपये 80/- की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में रूपये 13,87,200/- (रूपये तेरह लाख सत्तासी हजार दो सौ मात्र) होता है, के व्यय हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3- यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता आदि का भुगतान अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की प्राथमिक इकाई-04-यात्रा व्यय" से नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का भुगतान तत्समय के विनिमय दरों के अनुसार करने के उपरान्त यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा कर दिया जाय या राजकीय कोषागार में जमा किया जाय, यथास्थिति से शासन को सूचित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- अग्रिम भुगतान करने से पूर्व ग्रुप कै0 सुनील कौरा तथा विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा से शासन द्वारा अनुमोदित बॉण्ड निष्पादित कराया जाय।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-380-दस/2016, दिनांक 26 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 77/2016/1073(3)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2,
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारीगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।